न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वासगीत पर्चा वाद संख्या–30/05–06
चौधरी गोपाल जी राय बनाम बालेश्वर मंडल

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
27/03/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक इस कार्यवाही में दिनांक–12.03.11 को अनुपस्थित रहने के कारण वाद की अगली तिथि को निश्चित रूप से उपस्थित रहकर पक्ष रखने का आदेश दिया गया था। परंतु उक्त तिथि के बाद भी अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक–24.10.11 को पारित आदेश से उन्हें निदेशित किया गया था कि वे अगली तिथि को उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखे अन्यथा उन्हे अपना पक्ष रखने से वंचित करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था। दिनांक–24.12.11 को भी उभयपक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यवाही में पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। पुनः उक्त तिथि से आवेदक के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक–02.01.2014 को पारित आदेश से आवेदक को निदेशित किया गया कि आवेदक वाद में रूचि लें, अन्यथा वाद खारिज कर दिया जायगा। उक्त आदेश का आवेदक द्वारा अनुपालन नही करते हुए आज तक इस कार्यवाही में अनुपस्थित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को इस कार्यवाही में कोई अभिरूचि नही रह गयी है, जिस कारण इस कार्यवाही को चलाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतएव इस कार्यवाही में गुण दोष की जॉच किये बिना ही आवेदक के पैरबी के अभाव में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 27/3/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	